टी0ए0 मिस केस सं0 61/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
11/05/19	अभिलेख उपस्थापित।आवेदक **श्री मथुरा देवगम,पिता– स्व0 महाती देवगम**,ग्राम– मतकमहातु,थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– तमाडबाँध, थाना नं०– **125**,खाता नं०– **119**, प्लॉट नं०– **449**, रकबा– **0.10** एकड़ भूमि क्रेता श्री **श्री जयकुन्ती बोयपाई ,पति– दिलीप सिंह बोयपाई**,ग्राम– **पांडाबीर**, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदित भूखंड पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–110, दिनांक– **06.2.2019** एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ट्रेक्टर खरीदने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **श्री श्री जयकुन्ती बोयपाई ,पति– दिलीप सिंह बोयपाई**,ग्राम– पांडाबीर,थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास **11,10,000.00/–(ग्यारह लाख दस हजार)**रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेत**श्री मथुरा देवगम,पिता–स्व0 महाती देवगम**,ग्राम– मतकमहात थाना– मुफ्फसिल, क्रेता श्री **जयकुन्ती बोयपाई ,पति– दिलीप सिंह बोयपाई**,ग्राम– पांडाबीर, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास जमीन को कुल**11,10,000.00/–(ग्यारह लाख दस हजार)** रूपये में मौजा तमाडबाँध, थाना नं०– 125,खाता नं०– 119, प्लॉट नं०– 449, रकबा– **0.10 एकड** जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति ....दी जाती है। लेखापित 11/5 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 11/5/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner